अध्याय--एक

1. **संक्षिप्त शीर्ष**- इन नियमों का नाम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियम, 1954 होगा ।

2. **प्रसार और प्रारम्भ**- ये नियम उन क्षेत्रों में और उस दिनांक से प्रचलित होंगे, जिनमें और जब से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (सं0 5, सन् 1954) की धारा 1 को छोड़ कर, प्रवृत्त किया जाय ।

3. **परिभाषायें**-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल (Repugnant) न होने पर इन नियमों में--

(1) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (सं0 सन् 1954) से है;

[1][(1-क) 'आधार खसरा' और 'आधार खतौनी' का तात्पर्य क्रमशः किसी गाँव के ऐसे खसरा और खतौनी से है, जो धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के जारी होने के समय चालू हों;

(1-ख) 'आधार वर्ष' का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिससे सम्बन्धित आधार खसरा और आधार खतौनी हों];

(2) "धारा" का तात्पर्य जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा से है;

(3) (3-क), (3-ख) तथा (4) [3][निरसित]

[2][(5) 'कटक' (Unit) के 'मानक गाटों' (Standard plots) का तात्पर्य नियम 20-क के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित गाटों से है];

[4][(6) 'विनिमय अनुपात' का तात्पर्य किसी गाटे के प्रति बीघा या एकड़ या हेक्टेयर, पैसा मूल्य से है जो (1-क) के मानक गाटे के एक बीघा या एकड़ या हेक्टेयर के सापेक्ष हों ।

स्पष्टीकरण- (क) मानक गाटे का पैसा मूल्य 100 पैसा होगा ।
(ख) समस्त गाटों का विनिमय अनुपात 100 पैसे और 10 पैसे के बीच के गुणन में व्यक्त किया जायेगा ।

टिप्पणी- यह वहीं लागू होगा जहाँ उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना अब जारी की गयी हो या जहाँ अधिसूचना जारी की गयी हो, किन्तु मूल्यांकन कार्य पूरा न किया गया हो ।

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़े गये ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं0 8860/आई0ए0-513-56, दिनांक 24-1-1957 द्वारा निकाला गया ।
4. विज्ञप्ति सं0 65/24/80- 357-8 दिनांक 28-4-1981 द्वारा जोड़ा गया ।

[1][3-क. [धारा 3 (2-कक)]]- (1) प्रत्येक कटक के लिए एक चकबन्दी समिति होगी जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे । उन मामलों में जिसमें उपनियम (4) के उपबन्धों को देखते हुए, सदस्यों का निर्वाचन आवश्यक हो जाय, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कटक के खातेदारों की कुल संख्या और कटक पर क्षेत्राधिकार रखने वाली भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या निश्चित करेगा, जो 7 से अधिक न होगी । ये सदस्य कटक के अन्तर्गत आने वाले गाँव/गाँवों की भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे जो उपनियम (3) में नियत योग्यतायें रखते हों । समिति को और प्रतिनिधिक बनाने के उद्देश्य से बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कटक के खातेदारों में से अधिक से अधिक 4 ऐसे सदस्यों को नामांकित कर सकता है, जो आवश्यक योग्यतायें रखते हों । नामांकित सदस्यों में से एक 1951 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 297 के अधीन निबद्ध सहकारी फार्म या फार्मों का प्रतिनिधि हो सकता है, यदि कटक में कोई हो । निर्वाचन तथा नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त कटक में तैनात किया गया ग्राम सेवक (Village level worker) या तैनात किये गये ग्राम सेवक समिति के पदेन सदस्य होंगे, किन्तु उसे/उन्हें मत देने का अधिकार न होगा ।

(2) [2][निरसित] ।

(3) चकबन्दी समिति के सदस्यों का शिक्षित होना अच्छा होगा और उनके लिए आवश्यक है कि वे--

(क) 21 वर्ष की आयु से कम न हों, तथा
(ख) कटक के अन्तर्गत खेती करते हों;

किन्तु प्रतिबन्ध है कि यदि निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षित संख्या को पूरा करने के लिए कटक में खेती करने वाले भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष सदस्य भूमि प्रबन्धक समिति के अन्य सदस्यों में से निर्वाचित किये जा सकते हैं :

[3][प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (1) और (2) में उल्लिखित शर्तें पदेन सदस्यों (Ex-offico member) पर लागू नहीं होंगी ।]

(4) जब कटक में केवल एक ही गाँव हो और गाँव की भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न हो, तो भूमि प्रबन्धक समिति के सभी सदस्य चकबन्दी समिति के सदस्य हो जायेंगे । उन दशाओं में जब तक गाँव की भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो या जब कटक में एक से अधिक गाँव हों और उनकी सब भूमि प्रबन्धक समितियों के सदस्यों को मिलाकर संख्या 5 से अधिक हो, तो चकबन्दी अधिकारी,

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाला गया ।
3. विज्ञप्ति सं0 437 सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया ।

भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के [1][सदस्यों को], जैसी भी दशा हो, उपनियम (1) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा दी गई आज्ञाओं के अनुसार निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की आज्ञा देगा ।

(5) उन दशाओं में, जब चकबन्दी समिति का निर्वाचन केवल एक ही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया जाय, भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, यदि वह चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाय, चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । अन्य दशाओं में, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा उपनियम (1) के अनुसार सदस्यों के, यदि कोई हों, नामांकन के पश्चात् समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी ।

[2][(5-क) उन दशाओं में जब चकबन्दी समिति का निर्वाचन केवल एक ही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया जाय, भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष (चेयरमैन) यदि वह चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाय, चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर या इसके पश्चात्, किसी भी समय चकबन्दी समिति के अध्यक्ष का कार्य करने से इन्कार करे अथवा पद त्याग करे, तो उक्त उपबन्ध लागू न होगा और समिति के सदस्य अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।

(5-ख) उन दशाओं में, जो खण्ड (क) के अन्तर्गत न आते हों, चकबन्दी समिति के सदस्य, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा उपनियम (1) के अनुसार नामांकन, यदि कोई हो, करने के पश्चात् अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।]

[3][(6-क) निर्वाचन चकबन्दीकर्ता द्वारा संचालित किये जायेंगे और भूमि प्रबन्धक समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1963 के नियम 3 से 10 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जायेगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन के संचालन से क्षुब्ध कोई व्यक्ति निर्वाचन के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।]

(7) इस प्रकार संगठित चकबन्दी समिति उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने तक कार्य करेगी जब तक उपनियम (9) के उपबन्धों के अधीन उसका पुनः संगठन न किया जाय या उसके स्थान पर कोई अन्य अधिकारी नियुक्त न किया जाय अथवा भूमि प्रबन्धक समिति या भूमि प्रबन्धक समितियों में से किसी समिति का, यदि चकबन्दी समिति एक से अधिक भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा निर्वाचित की गई हो, कार्यकाल समाप्त न हो जाय । पश्चात्वर्ती दशाओं में चकबन्दी समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-265-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाले गये ।

नयी भूमि प्रबन्धक समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समितियाँ, जैसी भी दशा हो, दूसरी चकबन्दी समिति का निर्वाचन न कर लें :

[1][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के सम्बन्ध में नयी निर्वाचित भूमि प्रबन्धक समिति के धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व, दूसरी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने की सम्भावना हो, जो चकबन्दी संचालक उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, यह उपेक्षा कर सकता है कि पहले से ही संगठित चकबन्दी समितियाँ उस समय तक कार्य करती रहेंगी, जो वह निर्दिष्ट करे ।]

(8) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस पर 1951 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117-क की उपधारा (2) प्रवृत्त होती हो, कलेक्टर सम्बद्ध स्थानिक प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, सम्बद्ध क्षेत्र के निवासियों में से योग्य सदस्यों की वह संख्या, जो पाँच से कम या ग्यारह से अधिक न हो, जैसा कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अवधारित की गयी हो, नामांकित करेगा ।

[2][(9-क) यदि उपनियम (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा नामांकित व्यक्तियों के स्थानिक प्राधिकारिकी का अध्यक्ष भी हो, तो वह चकबन्दी समिति के रूप में भी कार्य करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्थानिक प्राधिकारिकी को अध्यक्ष समिति के सदस्य के रूप में अपना नामांकन होने पर, या इसके पश्चात् किसी भी चकबन्दी समिति का काम करने से इन्कार करे या पद त्याग करे, तो उक्त उपबन्ध लागू न होगा और समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।

(ख) ऐसे मामलों में जो खण्ड (क) के अन्तर्गत न आते हों, समिति के कलेक्टर द्वारा नामांकित समिति के सदस्य, अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।]

[3][(10) यदि किसी समय जिला उपसंचालक चकबन्दी को इस बात का पता चलता है कि--

(i) अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन अधिसूचित इकाई में कोई भूमि प्रबन्धक समिति नहीं है या यह कि भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों ने समुचित समय के भीतर चकबन्दी समिति के सदस्यों को नियत संख्या में निर्वाचित नहीं किया है, तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को, जिनकी संख्या 2 से कम न होगी, नामांकित कर सकता है और चकबन्दी समिति में उक्त व्यक्ति होंगे और ऐसे नामांकन की सूचना इकाई में डुग्गी पिटवाकर दी जायेगी और ऐसी सूचना को सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चिपकाया जायेगा; या

(ii) चकबन्दी समिति ने बिना किसी समुचित कारण या हेतु के अधिनियम या नियमावली द्वारा आरोपित या अभ्यर्पित (Imposed or assigned) कर्तव्यों

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया।
2. विज्ञप्ति सं0 31/1/65-आई0ई0, दिनांक 21-4-1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं0 21-1-76-रेवेन्यू-8, दिनांक 23-7-1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।

का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने से इन्कार कर दिया है या उन्हें इन्कार करने में विफल रहा है, अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं कि चकबन्दी समिति उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने में असमर्थ हो गई है तो वह, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार एक नई चकबन्दी समिति संगठित कर सकता है, या उतने व्यक्तियों को जिनकी संख्या दो से कम न होगी, नामांकित कर सकता है, जिन्हें वह नई समिति संगठित करने के लिए उचित समझे ।]

[1][(11) चकबन्दी समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष का त्याग-पत्र, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ।

(12)(क) चकबन्दी समिति में सदस्यों की रिक्ति पूर्ति--

(1) भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों द्वारा, जैसी भी दशा हो, उपनियम (6) में दी गई रीति से निर्वाचन करके, यदि बहिर्गामी सदस्य कोई निर्वाचित सदस्य रहा हो, की जायेगी ।

(2) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी या कलेक्टर द्वारा, जैसी भी दशा हो, नामांकन करके, यदि बहिर्गामी (outgoing सदस्य, नामांकित सदस्य रहा हो, की जायेगी ।

(ख) चकबन्दी समिति के अध्यक्ष की पदरिक्ति की पूर्ति उपनियम (5) या उपनियम (9) में, जैसी दशा हो, दी गयी रीति से की जायेगी।]

4. [धारा 3 (8)]- उस नोटिस की तामील करने में, जिसमें कटक में किसी लेख्य के प्रकाशन के दिनांक की सूचना दी गई हो, तामील करने वाला अधिकारी, जब भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य तामील के समय अपने निवास स्थान पर उपस्थित न हो, अथवा जब सभी उचित और तदर्थ श्रम के पश्चात् भी वह न मिले, तो उस घर के, जिसमें वह सामान्यता निवास करता हो, या व्यवहार करता हो अथवा लाभ के लिए स्वयं काम करता हो, बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपका कर उसकी तामील करेगा ।

4-क तथा 5 से 12. [2][निरसित]

13. [3][निरसित]

14. [धारा 54]- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से अधिनियम के अधीन चकबन्दी की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के निमित्त ऐसे खातेदारों के सम्बन्ध में, जो अवयस्क जड़बुद्धि (Idiot) या पागल हो, संरक्षक नियुक्त करेगा, यदि संरक्षण समर्थ न्यायालय द्वारा पहले से ही नियुक्त न कर दिया गया हो ।

---

1. विज्ञप्ति सं0 31/1/65-आई0ई0, दिनांक 21-4-1969 द्वारा जोड़े गये ।
2. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।
3. विज्ञप्ति सं0 5504/आई0ए0-511-55, दिनांक 25-1-1956 द्वारा निकाला गया ।

[1][(2) उपनियम (1) के अधीन अवयस्क जड़ या पागल के लिए नियुक्त संरक्षक, उसका स्वाभाविक संरक्षक होगा, जब तक कि स्वाभाविक संरक्षक ऐसा स्वत्व न रखता हो, जो अवयस्क, जड़ या पागल के स्वत्व के प्रतिकूल हो । यदि स्वाभाविक संरक्षक इस प्रकार नियुक्त न किया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् अवस्यक, जड़ या पागल के ऐसे निकटतम पुरुष सम्बन्धी को, जो उसके सम्बन्ध में प्रतिकूल स्वत्व न रखता हो, उसका संरक्षक नियुक्त करेगा ।]

(3) ऐसे सब संरक्षकों या प्रतिनिधियों की एक सूची उनके संरक्षितों के नामों के सहित सम्बद्ध गाँव में प्रकाशित की जायेगी और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उक्त संरक्षित से सम्बन्ध हो, ऐसे प्रकाशन के 15 दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है [जिसकी आज्ञा, धारा 48 के अधीन दी गयी आज्ञाओं के अनुसार किये गये परिष्कार (Modification), यदि कोई हो], के अधीन, अन्तिम होगी ।

15. [2][निरसित] ।

अध्याय--दो

16. [2][निरसित]

[3][**16-क. [धारा (5-क)]**- (1) इस तथ्य (Fact) को ध्यान में रखते हुए कि किसी कटक के लिए चकबन्दी योजना तैयार करने के पूर्व, चकबन्दी क्रियाओं के अधीन गाँव का नक्शा, खसरा व वार्षिक रजिस्टर (Annual register) अधिनियम की धाराएँ 7 से 11 तक के उपबन्धों के अधीन पूर्णरूप से पुनरीक्षित किया जायेगा । जिला उपसंचालक चकबन्दी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह किसी गाँव की चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रहने की अवधि में, इन अभिलेखों को प्रतिवर्ष तैयार कराये । वर्तमान अधिकारों का अभिलेख रखने के लिए, वह वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा संक्रमणों (changes and transfers) से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 12 के अधीन पारित समस्त आदेशों को रजिस्टर में, इस प्रयोजन के लिए अभिप्रेत स्तम्भों में लाल स्याही से अंकित कराकर धारा 10(1) के अधीन प्रकाशित अभिलेखों को आद्यावधिक करायेगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 27 के अधीन एक नया अधिकार अभिलेख तैयार न किया जाय ।

(2) राजस्व परिषद् (Board of Revenue) द्वारा निर्दिष्ट महत्वपूर्ण खरीफ और रबी की फसलों के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करने के लिए चकबन्दी लेखपाल द्वारा नियतकालिक (Periodical) पड़तालें, प्रत्येक वर्ष उस अवधि में की जायेंगी, जबकि गाँव

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाला गया ।
3. विज्ञप्ति सं0 160 सी0एच0/आई0ई0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा जोड़े गए ।

चकबन्दी क्रियाओं के अधीन हो । इन पड़तालों के परिणाम लेखपाल द्वारा उस प्रयोजन के लिए तैयार किये गये पृथक् चिट्ठे में संचालक के सामान्य अनुदेशों के अनुसार अभिलिखित किये जायेंगे । कोई जायद (zaid) पड़ताल नहीं की जायेगी । राजस्व परिषद् द्वारा निर्दिष्ट सभी फसलों के सम्बन्ध में खरीफ और रबी के जिन्सवार, चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किये जायेंगे और चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध तहसील के पास, उन दिनांकों तक भेज दिये जायेंगे, जो जमींदारी अभिलेख नियमावली में सुपरवाइजर कानूनगो के लिए खरीफ तथा रबी की फसल के विवरण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए नियत हैं ।

(क) जोत, मालगुजारी तथा लगान के विवरण-पत्र; तथा

(ख) क्षेत्र विवरण-पत्र में दिये गये आँकड़े, आधार वर्ष के लिए, यदि संकलित (Compited) किये गये हों अथवा पूर्ववर्ती के लिए गाँव की चकबन्दी क्रियाओं के दौरान में प्रतिवर्ष दोहराये जायेंगे ।

16-ख. [धारा 5 (ग)]- बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा 5-ग (2) में अभिदिष्ट अनुज्ञा (Permission) प्रदान करेगा, जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा, उसका यह समाधान न हो जाय कि प्रस्ताव संक्रमण से चकबन्दी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।]

17. [धारा 8 (क)]- अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति अन्य कारणों के साथ, निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक आधारों पर समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में रद्द की जा सकती है, अर्थात्--

(क) क्षेत्र इस प्रकार की विकास योजना के अधीन है कि उसके पूर्ण होने पर उसमें चकबन्दी क्रियाएँ, किसानों के लिए अन्यायपूर्ण हो जायेंगी;

(ख) गाँव की जोतों की किसी न किसी कारण से पहले ही चकबन्दी हो चुकी है और खातेदार सामान्यतः वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं;

(ग) गाँव में दलबन्दी है, जिसके कारण गाँव में उचित रूप से चकबन्दी कार्यवाहियाँ करना बहुत कठिन है;

(घ) क्षेत्र की सारी भूमि को तदर्थ एक करने के बाद उस क्षेत्र में खेती करने के लिए एक सहकारी समिति बनाई जा चुकी है ।

18. [धारायें 7 और 54 (2) (घ)]- (क) चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखे गये कटक के गाँव के नक्शे का पुनरीक्षण या तो--

(1) नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक खेत की, जैसा कि वह नक्शे में दिखलाया गया हो, तुलना-स्थल पर उसकी आकृति और परिणाम से की जाती है और जहाँ आवश्यक हो, नक्शे में दी गई आकृति और परिणाम से आवश्यक नाप-जोख के पश्चात् संशोधन किये जाते हैं; या

(2) पूर्ण व्यवसायिक मापन (पुनः मापन) द्वारा किया जायेगा । अतएव जिला

चकबन्दी संचालक, यदि उसे पहले ही से आवश्यक सूचना प्राप्त न हुई हो, अपने जिले में चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रक्खे गये समस्त कटकों के गाँव के नक्शों की दशा के बारे में जाँच करायेगा और ऊपर बताई गई दो रीतियों में से किसी एक में नक्शों की आद्यावधिक (Up-to-date) करने के लिए गाँवों को चुनेगा । वह फिर नक्शों को तद्नुसार पुनरीक्षित करवाने की कार्यवाही करेगा ।

(ख) गाँवों का व्यवसायिक मापन करने में 'मैनुअल फार दी रिवीजन ऑफ मैप्स ऐण्ड रेकार्ड्स' के अध्याय 6 और 9 में समाविष्ट अनुदेश और नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा नक्शा को पुनरीक्षित करने में उसके अध्याय 7 और 9 में समाविष्ट अनुदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे ।

(ग) [1][निरसित]

[2][(घ) नक्शे के साधारण संशोधन का कार्य चकबन्दी लेखपाल द्वारा किया जायेगा । इसकी जाँच संचालक के तत्समय प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गाँवों की खेतवार पड़ताल करते समय की जायेगी ।

(ङ) समकोण गाँव में व्यवसायिक मापन और समकोण का कार्य समकोणकार (Rectangulator) द्वारा किया जायेगा जिसके कार्य की जाँच सहायक समकोण अधिकारी और समकोण अधिकारी करेंगे ।]

19. [**धाराएँ 8 तथा 54 (2) (घ)**]- चालू वार्षिक रजिस्टर को समस्त प्रविष्टियों की शत-प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा उन्हें विगत वार्षिक रजिस्टर या रजिस्टरों और सम्बद्ध खसरों तथा पिछले बन्दोबस्त या अभिलेखों के पुनरीक्षण के समय तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों में भी मिलाकर की जायेगी । पाई गई अशुद्धियाँ तथा विवाद भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे ।

20. [**धाराएँ 8 तथा 54 (2) (घ)**]- नियम 19 में नियत रीति से वार्षिक रजिस्टर की जाँच हो जाने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता द्वारा वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों की सत्यता की परीक्षा पूर्णरूप से की जायेगी । यह कार्य गाँव में अभिलेख को पढ़कर और उसकी प्रत्येक प्रविष्टि को, गाँव में ही कहीं पर यथासम्भव अधिकाधिक संख्या में एकत्रित हुये खातेदारों को समझाकर किया जायेगा । वह सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के विचार भी, संयुक्त जोतों में उनके अंशों के सम्बन्ध में मालूम करेगा । पाई गई अशुद्धियाँ तथा विवाद और सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा इंगित किये (Indicated) अंश भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे ।

[3][**20-क.** (क) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता द्वारा किये गये वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण और सत्यापन कार्य की जाँच करेगा और धारा 8-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार कटक के लिए "मानक गाटों" का अवधारण भी करेगा ।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकला गया ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं0 113/8-73-रेवेन्यू-8, दिनांक 27-10-1978 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) "मानक गाटों" की सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7-ख में तैयार की जायेगी और गाँव के नक्शे की एक प्रति के साथ प्रकाशित की जायेगी जिसमें "मानक गाटों" को लाल स्याही से दिखाया जायेगा । सूची प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियाँ गाँव के मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जायेंगी । वह अपनी रिपोर्ट के साथ आपत्तियों को चकबन्दी अधिकारी के पास भेज देगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने और स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात् आपत्तियों पर निर्णय देगा ।

(ग) उपनियम (ख) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने, और यदि आवश्यक हो, स्थल पर निरीक्षण करने, के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की आज्ञा अंतिम होगी और उस पर आपत्ति न की जा सकेगी ।]

21. **[धारा 8]**- नियम [1][19, 20 और 20-क] में नियत वार्षिक रजिस्टर की जाँच और परीक्षा करने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी समिति के साथ तथा गाँव के जितने खातेदारों को वह एकत्र कर सके, उनके साथ सभी गाटों की खेत में जाकर पड़ताल करेगा और परिणामों को वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा [2][* * * *] चकबन्दी में दर्ज करेगा । पड़ताल के समय पायी गयी अशुद्धियाँ तथा विवाद भी साथ ही साथ भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे ।

[1][22. **[धारा 8]**- नियम 19, 20 और 21 में उल्लिखित अशुद्धियों और विवादों की सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दो भागों में तैयार की जायेंगी । भाग 1 में लिपिक अशुद्धियाँ रहेंगी और भाग 2 में ऐसी अन्य अशुद्धियाँ और विवाद रहेंगे, जो नियम 19 से 21 तक में अभिदिष्ट वार्षिक रजिस्टर की जाँच और सत्यापन तथा खेतवार पड़ताल के दौरान में मालूम हुये हों । संयुक्त जोतों में अभ्यर्पित अंशों के ब्यौरे भी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 के भाग 2 में अभिलिखित किये जायेंगे ।]

[1][23. **[धारा 8 और 54 (2) (घ)]**- गाँव की खेतवार पड़ताल करते समय चकबन्दी-कर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गाटा सिंचाई योग्य है अथवा नहीं और इसके साथ ही वह खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 19 में प्रत्येक सिंचाई योग्य गाटे के सिंचाई का साधन और उसकी रीति इंगित करेगा । आधे से अधिक गाटा सिंचाई योग्य हो तो पूर्ण गाटा सिंचाई योग्य समझा जायेगा । गाटे का सिंचाई योग्य क्षेत्र खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 20 में अभिलिखित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण- निम्नलिखित साधनों से सींचे गये गाटे सिंचाई योग्य समझे जायेंगे--

(1) नहर, नलकूप और अन्य कुएँ, जो टिकाऊ हों । कच्चे कुएँ सामान्यतया टिकाऊ

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-4-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा 'पड़ताल' शब्द निकाला गया ।

न समझे जायेंगे, जब तक कि चकबन्दी समिति अन्यथा निर्णय न करे और यह निर्णय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पुष्ट न कर दिया जाय;

(2) नदियाँ, झीलें, नाले, तालाब, पोखरे और अन्य साधन, जिनसे किसी सामान्य वर्ष में पूरी फसल के सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी मिलता हो।]

[1][**24. [धाराएँ 8 और 54 (2) (घ)]**- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता द्वारा अपनी वार्षिक रजिस्टर की जाँच तथा सत्यापन और खेतवार पड़ताल के समय पाई अशुद्धियों और विवादों और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में अभिलिखित अंशों की जाँच करेगा और इसके अतिरिक्त वह गाँव से कम से कम 20 प्रतिशत गाटों के सम्बन्ध में प्रविष्टियों की स्वयं पड़ताल करके चकबन्दीकर्ता के कार्य की जाँच करेगा । सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किये गये कार्य की जाँच चकबन्दी अधिकारी और बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि सभी अशुद्धियों, विवादों और संयुक्त जोतों में अंशों की विशिष्ट अशुद्धियों और विवादों की सूची में दर्ज कर दिया गया है ।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी को सम्बद्ध गाँव के लिए चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध क्रियाओं (Roster operation) में तैयार की गई मिट्टी के वर्गीकरण के नक्शे की प्रति गाँव की एक खेतवार पड़ताल की जाँच करने से काफी पहले दी जायेगी ।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध क्रियाओं के समय अवधारित मिट्टी के वर्गीकरण के ब्यौरे के नियम 18 के अधीन तैयार किये गये गाँव के नक्शे की प्रति में समाविष्ट करायेगा ।

(4) तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी, मानक गाटों की अन्तिम सूची की सहायता से कटक में प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करने का काम, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (2) से सलग्न स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आने वाले गाटों या गाटों के भागों को छोड़कर, जिसकी एक सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 18 में तैयार की जायेगी, आरम्भ करेगा । गाटों का विनिमय अनुपात सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कटक के उतने खातेदारों से जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात् चकबन्दी समिति के परामर्श से अवधारित किया जायेगा । इस प्रकार अवधारित प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात उपनियम (3) के अधीन तैयार किये गये नक्शे की प्रति में दिखाया जायेगा । प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात अवधारित करने में अग्रलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगा ।

(1) चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध क्रियाओं में यथाअभिलिखित गाटे की वर्तमान मिट्टी का वर्ग;

(2) गाटे की मिट्टी के संघटक, सामान्यतया उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या और किस्म तथा उनको उपजाने के लिए अपेक्षित श्रम की प्रमात्रा (Quantum) द्वारा यथानिर्णीत उत्पादन शक्ति;

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-4-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

टिप्पणी- उत्पादन शक्ति में अस्थायी या अनिश्चित (Erratic) वृद्धि या कमी पर विचार न किया जायेगा ।

(3) सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की प्राप्यता;

टिप्पणी- नहर द्वारा सिंचाई की दशा में इस तथ्य पर, कि गाटे की सिंचाई "तोड़ (Flow system)", "डाल (Lift system)", द्वारा की जाती है अथवा नहीं, गूल के गाटे की निकटता और जल के परिणाम पर विचार किया जायेगा ।

(4) स्थिति, जिसका सम्बन्ध कृषि के व्यय या उनकी देख-भाल या गाटे के उत्पादन के क्रय-विक्रय से है;

(5) प्रत्येक गाटे के विनिमय के अनुपात का ठीक अवधारण करने की अन्तिम जिम्मेदारी सहायक चकबन्दी अधिकारी की ही होगी ।

(6) प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात, चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार उपनियम (3) में अभिदिष्ट कटक के नक्शे में दर्ज किया जायेगा ।

(7) प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करते समय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से और कटक के उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछ-ताछ करने के पश्चात् प्रतिकर के अवधारण से, प्रयोजनों के लिए गाटे में स्थित प्रत्येक पेड़, कुएँ तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य भी अवधारित करेगा । इस प्रकार अवधारित मूल्य जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 12 में दर्ज किया जायेगा । पेड़ का मूल्य अवधारित करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी उसका बाजारी मूल्य मालूम करने के उद्देश्य से उसकी आयु और किस्म पर विचार करेगा और कुएँ तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य अवधारित करने में वह उसके प्रकार, आयु, मरम्मत और उपभोज्यता पर विचार करेगा । यदि वह ऐसा निर्णय करे तो सहायक चकबन्दी अधिकारी स्वयं किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से आग्रह कर सकता है कि वह कुएँ तथा अन्य समुन्नति के मूल्य का अनुपात सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी द्वारा करा ले । यदि किसी पेड़, कुएँ या अन्य समुन्नति पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो, तो प्रतिकर की धनराशि, जो अवधारित की जाय, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न सहस्वामियों में उनके अंशों के सम्बन्ध में आवश्यक पूछ-ताछ करने के पश्चात् अभिभाजित की जायेगी;

(8) चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक कटक के 10 प्रतिशत तक के गाटों के विनिमय अनुपात की जाँच, उनके मूल्यांकन के परिगणन, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के अवधारण के साथ-साथ करेगा । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी भी प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी के मण्डल की कम से कम 10 प्रतिशत कटकों में उपर्युक्त कार्य की जाँच, स्थल पर करेगा;

(9) नक्शे की प्रति, जिसमें उपनियम (4) के अधीन तैयार किये गये चकबन्दी योग्य गाटों के विनिमय अनुपात दिखाये गये हों, धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अन्य अभिलेखों के साथ कटक में प्रकाशित की जायेगी ।]

[1][**24-क. [धाराएँ 8-ए और 54]** (1)- सिद्धान्तों का विवरण' स्वयं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जोत चकबन्दी द्वारा आकार-पत्र 21 में चकबन्दी समिति के परामर्श से और उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछ-ताछ करने के पश्चात् तैयार किया जायेगा। विवरण में सिद्धान्तों की समाविष्ट करने के कारण दिये होंगे और उसके साथ कटक के नक्शे की एक प्रति होगी, जिसमें निम्नलिखित दिये जायेंगे--

(1) कटक के मानक गाटे, जैसे कि वे नियम 20-क के अधीन अवधारित हों;

(2) वर्तमान स्थायी विशेषतायें, जैसे आबादी स्थल, नहरें, गूलों (Field channels) के साथ उनके राजबहों सड़कें, बाग, कुएँ, नाले, नालियाँ, कब्रिस्तान, श्मशान और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अन्य क्षेत्र;

(3) खण्ड (2) में उल्लिखित किन्हीं भी मदों के स्थल, सिधाई (Alignment) या लम्बाई-चौड़ाई में प्रस्तावित परिवर्द्धन या परिवर्तन; और

(4) किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र ।

(2) आबादी के प्रसार के लिए जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए आबादी स्थलों के लिए क्षेत्र भी है, भूमि के आरक्षण के अतिरिक्त, प्रत्येक कटक की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकती है--

(1) खाद के गढे;
(2) सड़क ग्राम और अन्तर्ग्राम रास्ते;
(3) गोचर भूमि;
(4) खेत के मैदान;
(5) प्राथमिक तथा अन्य विद्यालय;
(6) खलिहान;
(7) अस्पताल;
(8) पंचायत घर;
(9) वृक्षारोपण;
(10) श्मशान और कब्रिस्तान;
(11) सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल कुल्प गूलें या नालियाँ और नहरें;
[2][(12) निस्वत्व स्थल; और
(13) इसी प्रकार के कोई अन्य उद्देश्य, जिनके लिए कटक के खातेदारों के हित में भूमि का आरक्षण आवश्यक समझा जाय ।

नोट ऊपर विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत आबादी स्थल का प्रसार भी सम्मिलित है, आरक्षण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग किया जायेगा।

(3) सिद्धान्तों का विवरण तैयार करते समय कटक की प्रत्येक विशिष्ट समस्या पर, जिसका सम्बन्ध चकों के समान प्रदेशन से हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति ध्यान देगी । जिन सिद्धान्तों पर, इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रस्ताव हो,

1. विज्ञप्ति सं0 55-35-73-रेवेन्यू-8, दिनांक 8-1-1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2- विज्ञप्ति सं0 31-1-79-507-रेवेन्यू-8, दिनांक 15-11-1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

उन्हें अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें विवरण में अवश्य समाविष्ट किया जाना चाहिए ।

विवरण में नियम 20-क के अधीन अवधारित 'मानक गाटों' के ब्यौरे भी दिये जायेंगे ।

(4) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति में सिद्धान्तों के विवरण में किसी विषय पर मतभेद हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी विषयों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी तैयार करेगा और उसे चकबन्दी अधिकारी को भेज देगा ।

(5) यदि चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति के मतभेद को सुलझाने में असमर्थ हो, तो वह मतभेद के प्रत्येक विषय पर अपनी राय के साथ अभिलेख को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पास भेज देगा ।

(6) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी समिति की सुनवाई करने के पश्चात् उपनियम (5) के अधीन अभिदिष्ट विषय पर अपना निर्णय देगा ।

24-ख. 'सिद्धान्तों का विवरण', नियम 24-क के उपनियम (1) के अधीन तैयार किये गये नक्शे के साथ, कटक में प्रकाशित किया जायेगा ।

24-ग. अधिनियम की धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विरुद्ध सभी आपत्तियाँ लिखित रूप में प्रस्तुत की जायेंगी और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेंगे । उनमें स्पष्ट रूप से वह रीति दी जायेगी जिससे आपत्तिकर्ताओं के हित पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ।

24-घ. चकबन्दी या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जैसी भी दशा हो, धारा 9-ख के अधीन कटक का स्थानीय निरीक्षण करते समय या धारा 11 के अधीन अपील पर निर्णय देने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा और उसे उस पत्रावली में रखेगा जिसमें उसकी आज्ञा हो ।]

25. [धाराएँ 9 (1) और 53 (2) (घ)]- (क) सहकारी चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 की सूची के भाग 1 में दर्ज की सभी लिपिकीय अशुद्धियों की शुद्धता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, गाँव के पहले के भौमिक अभिलेखों को देखकर भौमिक अभिलेख की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में अपने हाथ से आज्ञा देगा। तब यह आज्ञायें लेखपाल द्वारा वार्षिक रजिस्टर के सम्बद्ध खातों में लिखी जायेंगी और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित की जायेंगी । सहायक चकबन्दी अधिकारी जाँच द्वारा अपना यह समाधान करेगा कि उसकी सभी आज्ञायें वार्षिक रजिस्टर में सही-सही अभिलिखित की गयी हैं ।

[1][(ख) उपनियम (क) में उल्लिखित सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञाओं के कार्यान्वित होने के पश्चात् उन नोटिसों की, जिनमें वार्षिक रजिस्टर के सभी खातों के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 5 में संगत उद्धरण दिये हों, और (यदि आवश्यक हो) जोत चकबन्दी आकार-पत्र 5-ख में नोटिसों की आवश्यक संख्या में प्रतियाँ चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार की जायेगी और चकबन्दीकर्ता द्वारा उनकी जाँच की जायेगी । उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 20 प्रतिशत नोटिसों की जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी भी करेगा ।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/अई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़े गये ।

(ग) (1) जोत चकबन्दी आकार-पत्र 5 में, और यदि आवश्यक हो, तो जोत चकबन्द आकार-पत्र 5-ख में भी नोटिस, सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर से क्रमशः सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को जारी किये जायेंगे ।

(2) सरकारी विभागों की भूमि के सम्बन्ध में नोटिस, स्थानीय जिला कार्यालय के अध्यक्षों (जिनके अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पत्ति के सहायक अभिरक्षक भी हैं) को भेजे जायेंगे । गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों की या उसमें निहित भूमि के सम्बन्ध में नोटिस, गाँव सभा के प्रधान या स्थानीय प्राधिकारिकी के चेयरमैन, जैसी भी दशा हो, को भेजे जायेंगे ।

(3) खण्ड (1) और (2) के अधीन जारी किये गये नोटिस की कार्यालय प्रतियाँ तब तक सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जायेंगी जब तक कि उनके लिए पृथक् पत्रावलियाँ न बना दी जायें । सामान्य ग्राम पत्रावली में उसकी विषय-सूची की यथोचित अनुक्रमणिका होगी ।

(घ) [1][निरसित]

[2][(ङ) (1) आपत्तिकर्ता निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक् आपत्तियाँ प्रस्तुत करेगा--

(क) संयुक्त जोतों में व्यक्तिगत खातेदारों के अंशों की विशिष्टता के साथ भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व और विभाजन के सम्बद्ध अन्य सजातीय विषय; और

(ख) गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी आपत्ति केवल इस कारण खारिज न की जायेगी कि उपखण्ड (क) और (ख) में अभिदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में संयुक्त आपत्ति प्रस्तुत की गई है ।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी खण्ड (1) के उपखण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित आपत्तियों की दो श्रेणियों में से प्रत्येक सम्बन्ध में पृथक् वाद पत्रावलियाँ खुलवायेगा ।]

[3][(च) उपनियम (ङ) के खण्ड (1) में उल्लिखित दो श्रेणियों में से प्रत्येक से सम्बद्ध मामले प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6 में एक मिसिल-बन्द रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किये जायेंगे] ।

(छ) तथा (ज) [1][निरसित]

[4][25-क. [धाराएँ 9-क, 9-ख और 9-ग]- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी यथा-सम्भव धारा 9-क की उपधारा (1) के खण्ड (1) और धारा 9-ख की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सभी आपत्तियों पर गाँव ही में कार्यवाही करेगा । धारा 9-क की उपधारा (1) के अर्थों में समझौते के आधार पर विवादों का निर्णय करने में वह गाँव की चकबन्दी समिति के कम-से-कम दो सदस्यों की उपस्थिति में

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं0 31-1-70-आई0ई0, दिनांक 15-11-1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया

समझौते की शर्तों को अभिलिखित करेगा । तत्पश्चात् सम्बद्ध पक्षों को ये शर्तें पढ़कर सुना दी जायेंगी और उनके हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान लिए जायेंगे । चकबन्दी समिति के उपस्थित सदस्य भी समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे । तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी विवादों के समझौते की शर्तों के अनुसार निर्णय करते हुए अभिलेखों में की जाने वाली यथार्थ प्रविष्टियों को निर्दिष्ट करने की आज्ञा देगा । सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाओं के प्रवर्ती भाग के ब्यौरे मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे । सहायक चकबन्दी अधिकारी पक्षों की अनुपस्थिति में तथा एक पक्षीय आज्ञायें न देगा ।

(2) उन समस्त मामलों में, जिनमें सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा 9-क की उपधारा (2) या धारा 9-ख की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन चकबन्दी अधिकारी को निस्तारण के लिए रिपोर्ट भेजे, वह चकबन्दी अधिकारी द्वारा मामलों के निस्तारण के लिए दिनांक और स्थान नियत कर सकता है और उसकी सूचना अपने समक्ष उपस्थित पक्षों को देगा और जो पक्ष इस प्रकार उपस्थित न हों, उन्हें जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-क में नोटिस जारी करेगा । इन मामलों पर सहायक चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट में, पक्षों के मध्य विवाद-ग्रस्त विषयों और उनका समाधान करने के लिए उनके द्वारा किये गये प्रयासों का स्पष्ट रूप में उल्लेख होगा ।

[26. **[धारा 9-क]**- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी से प्राप्त मामले चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6 में मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे ।

(2) नियम 25-क के उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उक्त प्रयोजन के लिए नियत किसी अनुवर्ती दिनांक को, चकबन्दी अधिकारी, पक्षों की सुनवाई करेगा, विवाद-ग्रस्त प्रश्नों के सम्बन्ध में विवादपद बनायेगा, मौलिक और लेख्य दोनों साक्ष्य लेगा और आपत्तियों पर निर्णय देगा ।

(3) ऐसी नोटिस, जो चकबन्दी अधिकारी को किसी विवाद में निस्तारण के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को जारी करना आवश्यक हो, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-क में होगा ।

(4) यदि संयुक्त जोत के सभी खातेदार विभाजन का विरोध करें और चकबन्दी अधिकारी का समाधान हो जाय कि प्रत्येक सहखातेदार का विरोध यथार्थ है तो वह विभाजन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं करेगा, जब तक कि वह उन कारणों से जो कि उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे अच्छी हदबन्दी के हित में ऐसा करना आवश्यक न समझे ।

(5) गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण या गाटे पर स्थित पेड़, कुएँ या अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन करने से सम्बद्ध विवाद का निर्णय करने के लिए चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध गाटे का स्थानीय निरीक्षण करेगा, ज्ञाप तैयार करेगा और उसे सम्बद्ध पत्रावली में रखेगा ।]

[1][27. **[धाराएँ 9-क और 54]**-चकबन्दी लेखपाल, धारा 9-क के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा--

(1) भूमि में अधिकार और भूमि के सम्बन्ध में दायित्व;

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) गाटे, पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन; और

(3) संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में दी गई आज्ञायें आधार खतौनी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा चकबन्दी और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 में पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के (जैसे ही वह तैयार हो जाय) संगत स्तम्भों में क्रमशः दर्ज करेगा । वह वाद संख्या, आज्ञा का दिनांक और उसके प्रवर्ती भागों को उपर्युक्त अभिलेखों में दर्ज करेगा । चकबन्दी लेखपाल द्वारा की गई प्रविष्टियों की शुद्धता चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित की जायेगी । सहायक चकबन्दी अधिकारी भी कम से कम बीस प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि वे ठीक से कर ली गई है] ।

[1][27-क. [धारा 12-क]-(1) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी लेखपाल से नई जोतों पर देय मालगुजारी की धनराशि और वर्तमान जोतों पर मालगुजारी की धनराशि में अभिभाजन या परिवर्तन, यदि कोई हो, को दिखाने के लिए जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 में एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा, जहाँ यह धारा 9-क के अधीन की गई आज्ञाओं को देखते हुए आवश्यक हो । जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 में वह फसली वर्ष दिया जायेगा, जब से प्रभावित जोतों पर मालगुजारी में उपर्युक्त परिवर्तन किये जाने वाले हों ।]

(2) चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विवरण-पत्र की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी जाँच हो जाने के पश्चात् वह गजट में प्रकाशित किया जायेगा और उसके प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी विवरण-पत्र में ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जिन्हें यह आवश्यक समझे, उसे चकबन्दी अधिकारी के पास प्राप्त हुई प्रत्येक आपत्ति अपनी रिपोर्ट के साथ, प्रस्तुत करेगा । चकबन्दी अधिकारी भी विवरण-पत्र की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करने के लिए उसकी जाँच करेगा । वह पाई गई अशुद्धियों की रिपोर्ट तैयार करेगा और इस प्रकार की गई अशुद्धियों पर आद्याक्षर करेगा और विवरण-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा । चकबन्दी अधिकारी तत्पश्चात् अपनी रिपोर्ट के साथ, यदि कोई हो, विवरण-पत्र और सहायक चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पास भेजेगा, जो विवरण-पत्र और आपत्तियों का परीक्षण करेगा और मालगुजारी के निर्धारण, अभिभाजन या परिवर्तन, जैसी भी दशा हो, के लिए आज्ञायें देगा ।

[2][28. [धारा 10] (1) तत्पश्चात् चकबन्दी लेखपाल द्वारा जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 में एक पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें धारा 9-क की उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी और धारा 9-क की उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा दी गई भूमि में अधिकार और भूमि के सम्बन्ध में दायित्वों से सम्बद्ध सभी आज्ञायें और नियम 27-क के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा दी गई आज्ञायें भी समाविष्ट रहेंगी । विभाजन और संयोजन के मामले में दी गई आज्ञाओं के प्रवर्ती भागों के

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-265-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित ।

ब्यौरे रजिस्टर के समुचित स्तम्भ में अभिलिखित किये जायेंगे । अभिलेख की जाँच मण्डल क चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी । अभिलेख की प्रविष्टियों की जाँच करने वाला अधिकारी, अपनी जाँच के प्रतीक स्वरूप उन पर आद्याक्षर करेगा । पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर पर चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किया जायेगा । तत्पश्चात् यह धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

[1][(1-क) जोत चकबन्दी आकार-पत्र 10-क में हिन्दी में एक वर्ण-क्रम सूची, जिसमें खातेदार की समस्त जोतों को एक स्थान पर दिखाया जायेगा, चकबन्दी लेखपाल द्वारा विभाजन और संयोजन आज्ञाओं को; जैसा कि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 11 में दिखाया गया है, समाविष्ट करने के पश्चात् तैयार की जायेगी और मण्डल के चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच की जायेगी । सूची की प्रविष्टियों की जाँच करने वाले अधिकारी, उन पर अपनी जाँच के प्रतीक स्वरूप आद्याक्षर करेगा ।]

(2) वार्षिक रजिस्टर में सभी कटे हुए लेखों और उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा, जो लेखों को काटने या उपरिलेखन के लिए उत्तरदायी हो तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर किये जायेंगे और दिनांक लिखा जायेगा । उन्हें तब जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख अशुद्धि-पत्र में दर्ज किया जायेगा, जिसे कार्बन की दो प्रतियों में लेखपाल चकबन्दी तैयार करेगा । अशुद्धि-पत्र पर चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंगे । अशुद्धि-पत्र की एक प्रति मण्डल के चकबन्दी अधिकारी को उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जायेगी ।

[2][29. **धारा 10-** धारा 11 और 43 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप, यदि आवश्यक हो, तो नियम 27-क के अधीन मूल जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 तैयार किये जाने के पश्चात्, जोतों पर मालगुजारी में किये गये परिवर्तनों को दिखाने के लिए नियम 27-क के उपनियम (1), (2) और (3) के अधीन नियत रीति के अनुपूरक जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7 में तैयार किया जायेगा ।]

30. **धारा 12-** (क) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित मामले जिस आकार-पत्र में सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जायें, वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ग में होगा ।

[2][(ख) धारा 12 के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये गये मामलों का निर्णय करने में नियम 25-क से 27 तक और 29 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण, आवश्यक परिवर्तन के साथ किया जायेगा ।]

31 **तथा 32.** [3][निरसित]

33. **धारा 12-घ-** जोतों के संयोजन के लिए प्रार्थना-पत्र, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 10 में दिया जायेगा । जोतों के संयोजन को प्राधिकृत करने की सभी आज्ञायें [2][जोत चकबन्दी

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया ।
2. उपरोक्त विज्ञाप्ति द्वारा प्रतिस्थापित
3. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाले गये ।

आकार-पत्र 11 के पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर] के उपयुक्त स्तम्भ में दर्ज की जायेगी ।

अध्याय--तीन

34 से 45. [1][निरसित]

46. धारा 19-क- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के सदस्यों से परामर्श करके तथा उतने खातेदारों से, जितने वह जमा कर सके, जाँच करके जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में [2][प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] तैयार करेगा ।

[3][(1-क) उपनियम (1) के अधीन बनाई गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के साथ कटक के नक्शे की प्रतिलिपि भी संलग्न होगी जिसमें खातेदारों को दिये गये प्लाटों और सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त निकाली गई भूमि का स्थान दिखाया जायेगा ।]

(2) [2][प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में जहाँ कहीं कटे हुए लेख और उपरिलेख हों, वहाँ पर वह व्यक्ति, जो उनके उत्तरदायी हों, वह सहायक चकबन्दी अधिकारी भी संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे तथा दिनांक लिखेंगे । प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में एक अशुद्धि-पत्र जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा । अशुद्धि-पत्र की एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेज दी जायेगी ।

47. धारा 19-क- [2][प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में निम्नलिखित का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया जायेगा--

(1) खातेदारों के असामियों को प्रदिष्ट की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और उसके लिए देय लगान;

(2) किसी जोत का भार, भार की धनराशि, उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में भार हो और भार का प्रकार और उसकी शर्तें;

(3) आबादी की भूमि अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए काम में लाई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल जिसको चकबन्दी की योजना में, किसी जोत के साथ मिला देने का प्रस्ताव हो और जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निमित्त किया गया हो ।

(4) [4][निरसित] ।

47-क. [4][निरसित] ।

[2][**48. धारा 20-** प्रत्येक खातेदारों के सम्बन्ध में और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसका स्वामित्व किसी गाँव सभा या स्थानीय प्राधिकारियों के पास है, या जो उनमें निहित

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256/61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 प्रतिस्थापित ।
3. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा जोड़ा गया ।
4. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-59 द्वारा निकाला गया।

है, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 24 में नोटिसों के साथ जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से लिए गये संगत उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा दो प्रतियों में तैयार किये जायेंगे । चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात् वे सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे । उद्धरण की एक प्रति सम्बद्ध खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन या स्थानीय प्राधिकारी पर, जैसी भी दशा हो, कटक में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना प्रकाशित किये जाने के पूर्व तामील की जायेगी । उद्धरण की कार्यालय प्रति सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जायेगी, जिसे यथोचित रूप से अनुक्रमित किया जायेगा ।]

48-क. [1][निरसित]

48-ख. धारा 20- चकबन्दी के प्रस्ताव जो उद्धरणों में हों, चकबन्दी लेखपाल और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रत्येक खातेदार को उन मामलों में, जिनमें यह आवश्यक हो, स्थल पर प्रारम्भिक सीमांकन करके समझाये जायेंगे । सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी यथासम्भव अधिक से अधिक खातेदारों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करके, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन अनुदेशों का यथावत् पालन किया गया है ।

49. धारा 21- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी को भेज दी जायेगी और साथ में वह सामान्य ग्राम पत्रावली भी भेज दी जायेगी, जिसमें नियम 48 के अधीन जारी किये गये जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में उद्धरण की कार्यालय प्रतिलिपि होगी ।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले के लिए, जिसमें अधिनियम की धारा 20 के अधीन आपत्तियाँ प्राप्त हों, पृथक् पत्रावली खोली जायेगी । एक पत्रावली एक ही सेट के पक्षों के सम्बन्ध में होगी । सभी आपत्तियाँ चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में एक मिसिलबन्द रजिस्टर में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6 में दर्ज की जायेंगी । ऐसी उद्धरण जिनके सम्बन्ध में कोई आपत्तियाँ प्राप्त न हुई हो, सामान्य ग्राम पत्रावली में रहेंगे, जिसके साथ एक समुचित सूची नत्थी की जायेगी, जिसमें उद्धरणों के ब्यौरे दिये होंगे ।

(3) यदि चकबन्दी अधिकारी आपत्ति को अस्वीकृत करे, तो वह आपत्ति की अस्वीकृति नोटिस खातेदार पर तामील करवायेगा । किन्तु यदि किसी आपत्ति को स्वीकार करने के फलस्वरूप चकबन्दी अधिकारी [2][प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह [2][जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23] में एक संशोधित उद्धरण बिना शुल्क के ही सम्बद्ध खातेदार के पास भिजवायेगा । धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आपत्ति उस समय तक निस्तारित नहीं समझी जायेगी, जब तक कि यथास्थिति, आपत्ति को अस्वीकार करने का पूर्वोक्त नोटिस या संशोधित उद्धरण सम्बद्ध खातेदार पर तामील न किया जाये ।

(4) उक्त नोटिस अथवा संशोधित उद्धरण की दो प्रतियाँ तैयार की जायेगी, जिन पर चकबन्दी अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उसकी मुहर अंकित होगी । तामील

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाल गया ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

करने वाला अधिकारी एक प्रति पर तामील की स्वीकृति का अनुलेख करने के पश्चात् दूसरी प्रति खातेदार को उस पर तामील के दिनांक का अनुलेख करके देगा । पहली प्रति, जिस पर खातेदार की प्राप्ति और उस पर तामील होने का दिनांक अंकित होगा, सम्बद्ध मामले के अभिलेख में रखी जायेगी ।

(5) यदि धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपील पर निर्णय देते समय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में कोई परिवर्तन करे, तो वह सम्बद्ध खातेदार को [1][जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23] में एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी करायेगा ।

(6) यदि धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण पर निर्णय देते समय चकबन्दी संचालक प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में, जैसी कि वह धारा 23 के अधीन पुष्टिकृत हो, कोई परिवर्तन करे, तो वह सम्बद्ध खातेदार को [1][जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23] में एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी करायेगा ।

50. धारा 23- (1) यदि धारा 21 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप [1][प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में ऐसे अनेक परिवर्तन करने पड़े, जिन्हें वर्तमान विवरण में सुगमता से समाविष्ट करना सम्भव न हो, तो धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन उसकी पुष्टि और उसके प्रकाशित होने के पूर्व उसकी एक स्वच्छ प्रति तथा कटक के नक्शे की एक प्रति, जिसमें खातेदारों को प्रदिष्ट गाटे तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग की गई भूमि की स्थिति दिखलाई गई हो, तैयार की जा सकती है ।

(2) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पुष्टि किये गये और धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित [1][प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] में सभी कटे हुये लेखों और उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जिस पर लेख काटने और उपरिलेख के लिए दायित्व होगा और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर किये जायेंगे और दिनांक लिखा जायेगा । उन्हें जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख में अशुद्धि-पत्र दर्ज किया जायेगा, जिसे चकबन्दी लेखपाल कार्बन की दो प्रतियों में तैयार करेगा । अशुद्धि-पत्र पर चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक लिखेंगे और उसकी प्रतिलिपि, मण्डल के चकबन्दी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जायेगी ।

अध्याय--चार

51 तथा 52. [2][निरसित]

53 तथा 54. [3][निरसित]

[4][**54-क. धारा 24-** धारा 24 के अधीन चकबन्दी योजना लागू करने के लिए जो दिनांक निश्चित किया जायेगा, उसके पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अपना यह समाधान

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।
3. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।
4. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कर लेगा कि चकों की सीमा रेखायें अन्तिम चकबन्दी योजना के अनुसार उचित रूप से निर्धारित कर दी गई हैं ।]

[1][55. धारा 28- (1) खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समितियों को, जैसी भी दशा हो, उन्हें प्रदिष्ट किये गये चकों या भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा नियम 28 के अधीन उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, जो डिक्री के निष्पादन में अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में नियत है ।

(2) उस दशा में जब ऐसे चकों या भूमि या उसके भागों पर खड़ी फसल का पालन-पोषण और उन्हें बटोरने का अधिकार उस व्यक्ति के पास रहे, जिससे कब्जा हस्तान्तरित किया गया हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से, भूमि का उपयोग करने के लिए जोत चकबन्दी आकार-पत्र 32 में प्रतिकर की ऐसी धनराशि अवधारित करेगा, जो फसल वाले क्षेत्र के लगानी मूल्य के तीन गुने से अधिक न हो तथा जो उस व्यक्ति को देय होगी, जिसे भूमि का कब्जा हस्तान्तरित किया जाय । वह दिनांक जब तक खड़ी फसल अवश्य काट ली जानी चाहिये और गाटा से हटा ली जानी चाहिये और वह दिनांक भी जब तक अवधारित प्रतिकर का अवश्य भुगतान कर दिया जाना चाहिये, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा । जोत चकबन्दी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा । जोत चकबन्दी आकार-पत्र 32 में उद्धरण सम्बद्ध खातेदारों पर तामील किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण- उन दशा में न तो कोई प्रतिकर अवधारित किया जायेगा और न उसका भुगतान किया जायेगा, यदि कब्जा देने के दिनांक और खड़ी फसलों को काटने के लिए निश्चित दिनांक के बीच फसल बोने की कोई ऋतु न हो ।

(3) धारा 29 की उपधारा (1-क) के अधीन प्रस्तुत अपीलों पर निर्णय हो जाने के पश्चात्, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 35 में प्रतिकर के प्रदान के प्रमाण-पत्र प्रतिकर पाने वाले को जारी करेगा । वह भुगतान करने वाले व्यक्ति को भी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 36 में नोटिस जारी करेगा ।]

56. धारा 29- (1) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी यह निर्णय करे कि फसल पर कब्जा भी दिलाया जाय, तो वह चकबन्दी समिति के परामर्श से निम्नलिखित पर विचार करते हुए, फसल का मूल्य निर्धारित करेगा--

(क) फसल की दशा;

(ख) फसल की अनुमानित उपज;

(ग) उपज का ऐसा अनुमानित मूल्य, जिसके कटक में फसल काटने के समय मिलने की सम्भावना हो;

(घ) ऐसी धनराशि जिसके हस्तान्तरण के दिनांक से फसल काटने के समय तक फसलों पर व्यय होने की सम्भावना हो ।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित कूत सभी खातेदारों के सामने की जायेगी, जब तक वे ऐसी सामान्य सूचना पर भी, जो कटक में डुग्गी पिटवाकर दी जायेगी, उपस्थित न हुए हों।

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से कूत का परिणाम जोत चकबन्दी आकार-पत्र 33 और 34 में प्रकाशित किया जायेगा ।

(4) [1][निरसित]

(5) उपनियम (3) के अधीन विवरण-पत्रों के अन्तिम हो जाने के पश्चात्, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 35 में प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र प्रतिकर पाने वाले को देगा और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 36 में उसकी सूचना प्रदाताओं को भी दी जायेगी ।

(6) से (8), (8-क) तथा (8-ख) [1][निरसित]

[2][**56-क.** (क) प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के किसी अन्य रीति से प्रतिकर वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 55 के उपनियम (4) या नियम 56 के उपनियम (5), जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रदान किये जाने के लिए जारी किया गया प्रमाण-पत्र उसमें अभिलिखित दिनांक से दो वर्षों के भीतर मालगुजारी के बकाया के रूप में धनराशि की वसूली के लिए कलेक्टर को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र के साथ क्षेत्राधिकारयुक्त तहसील को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकर या उसका कोई भाग शेष है या नहीं, प्रारम्भिक जाँच करेगा । तत्पश्चात् वह अपनी जाँच के परिणाम को कलेक्टर की आज्ञा के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) जब कलेक्टर का ऐसी अतिरिक्त जाँच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि प्रतिकर या उसके किसी भाग का, प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है तो वह प्रतिकर के शेष को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए प्राधिकार देगा ।]

56-ख. धाराएँ 28, 29 और 29-क- प्रतिकर की वसूली के लिए किसी वाद या कार्यवाही में कलेक्टर को पक्षकार न बनाया जायेगा ।

57. धारा 29- (1) दखल दिहाड़ी के बाद यथाशीघ्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 में बने प्रमाण-पत्र की बाहरी-पत्रक पेड़ों, कुओं, इमारतों तथा अन्य उन्नति के कार्यों के लिए प्रतिकर पाने वालों को दिलवायेगा । प्रमाण-पत्र में प्रतिकर देने वाले का नाम, प्रतिकर की धनराशि और उस सम्पत्ति का, जिसके निमित्त प्रतिकर दिया जायेगा, विवरण होगा ।

(2) पेड़ों, कुओं, इमारतों तथा अन्य उन्नति के कार्यों के लिए प्रतिकर देने का नोटिस भी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 में बने बाहरी-पत्रक पर प्रत्येक प्रतिकर देने वाले को दिया जायेगा और उसमें पाने वाले का नाम, दिये गये प्रतिकर की धनराशि और उस सम्पत्ति का, जिसके लिए प्रतिकर दिया जायेगा, विवरण होगा ।

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा जोड़े गये ।

(3) प्रमाण-पत्र और सूचनाओं का वितरण हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 के भीतरी-पत्रक अधिक्षेत्रयुक्त तहसीलदार को दे दिये जायेंगे ।

(4) नियम 56-क के उपबन्ध, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 में उल्लिखित प्रतिकर की वसूली पर लागू होंगे, मानो कि वह नियम 55 या 56 के अधीन देय प्रतिकर था और मानों कि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26 पर नियमों में उल्लिखित प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण-पत्र था ।

(5) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अंशदान करने के निमित्त खातेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि, जैसी कि वह [1][जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23] में अवधारित की गई हो, कब्जा प्रदान करने के पश्चात् शीघ्र ही नियम 61 के अधीन तैयार किये गये [1][जोत चकबन्दी आकार-पत्र 27] में माँग व वसूली की जमाबन्दी में अवधारित चकबन्दी के व्यय में संधानित कर दी जायेगी । ऐसी दशाओं में, जिनमें खातेदारों द्वारा चकबन्दी का कोई व्यय देय न हो, अथवा प्रतिकर की धनराशि चकबन्दी व्यय से अधिक हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी, खातेदारों को अधिक प्रतिकर की धनराशि नकद देगा और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2 -क में भुगतान का अभिलेख रखेगा ।

58. धारा 54- (1) जब किसी लेख्य के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से जिसे, लेख्य दिया जाय या जिस पर नोटिस तामील हुआ हो, प्राप्ति की रसीद लेने की विशेष व्यवस्था न की गई हो, तो तामील करने वाले अधिकारी द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति पर की गई तामील का अभिलेख, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 31 में रखा जायेगा ।

(2) किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को कोई लेख्य देने या उस पर किसी नोटिस या सम्मन की तामील करने के सम्बन्ध में देने या तामील करने वाला अधिकारी, यदि खातेदार या सम्बद्ध व्यक्ति देने या तामील के समय या निवास-स्थान में उपस्थित न हो या यदि सभी प्रकार का यथोचित और उपयुक्त श्रम करने पर भी उसका पता न लगाया जा सके या यदि वह देने या तामील करने पर लेख्य नोटिस या सम्मन लेने से इन्कार करे तो लेख्य, नोटिस या सम्मन को उस घर के, जिसमें वह सामान्यतया रहता हो, बाहरी द्वार पर या उसके दूसरे किसी प्रमुख भाग पर चिपका कर उसकी तामील करेगा या देगा, किन्तु यदि कटक में उसका कोई ऐसा निवास-स्थान नहीं है तो लेख्य, नोटिस या सम्मन की एक प्रति, उस भूमि के उस स्थान पर या उसके पार्श्व में स्थित किसी जनसमागम के स्थान पर जिससे लेख्य, नोटिस अथवा सम्मन का सम्बन्ध हो, चिपका कर उसकी तामील करेगा या देगा । प्रत्येक दशा में देने या तामील करने वाला अधिकारी, कटक के दो निवासियों से लेख्य, नोटिस या सम्मन का चिपकाया जाना प्रमाणित करा लेगा, परन्तु प्रतिकर के प्रमाण-पत्रों की तामील, उनको चिपका कर नहीं की जायेगी ।

[2][(3) चकबन्दी विभाग के सभी चकबन्दी लेखपाल, चपरासी, शृंखलाधारी और विभाग का कोई अन्य कर्मचारी, जो विशेष आदेशिका जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाय, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए तामील करने वाले अधिकारी होंगे ।]

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया ।

59 तथा 60. [1][निरसित] ।

[2][**61. धारा 33-** (1) चकबन्दी क्रियाओं के व्यय के लिए जमाबन्दी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 27 में जमाबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार की जायेगी ।

(2) चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गाँव की चकबन्दी शत-प्रतिशत जाँच लिए जाने और चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी 20 प्रतिशत प्रविष्टियाँ भी जाँच लिए जाने और उन पर आद्याक्षर किये जाने के पश्चात् तहसीलदार को, उसमें दिखाई गई धनराशियों को, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए भेजी जायेगी ।

(3) खातेदार पर निर्धारित व्यय, उसके द्वारा दो समान किश्तों में देय होगा--

(क) वसूल किये जाने के लिए पहली किश्त, मालगुजारी की उस पहली किश्त के साथ देय होगी, जो अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि किये जाने के पश्चात् देय होगी; और

(ख) वसूल किये जाने के लिए दूसरी किश्त, मालगुजारी किश्त के बाद देय होगी ।]

62. धारा 54 (2) (i)(ii)- चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी समिति की बैठकों की कार्यवाहियों को दर्ज करने के निमित्त जोत चकबन्दी आकार-पत्र 29 में कार्यवाही की एक पुस्तक रखेगा । वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 30 में एक डायरी भी रखेगा जिसमें उसके द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का ब्यौरा दिया जायेगा । चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी भी इसी आकार-पत्र में एक डायरी रखेंगे ।

63 तथा 64. [3][निरसित]

65. धारा 54- (1) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी चकबन्दी अधिकारी अथवा किसी सहायक चकबन्दी अधिकारी के पास से अपने यहाँ मँगा सकता है और उसे किसी ऐसे दूसरे चकबन्दी अधिकारी अथवा सहायक चकबन्दी अधिकारी को निस्तारण के लिए अभिदिष्ट कर सकता है, जो उसके निस्तारण के लिए सक्षम हो ।

[4][(1-क) वह अधिकारी जिसके समक्ष अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन अपील, पुनरीक्षण या निर्देश संस्थित किये जायं, अपने समक्ष संस्थित या विचाराधीन किसी मामले को किसी अन्य अधिकारी को जिसे ऐसे मामले की सुनवाई करने और उस पर निर्णय देने का अधिकार हो, हस्तांतरित कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी मामले को उस अधिकारी की पत्रावली से अपनी पत्रावली में वापस मंगा सकता है । किसी ऐसे जिले का, जहाँ कोई संयुक्त, उपसहायक संचालक, चकबन्दी नियुक्त हो, जिला उपसंचालक, चकबन्दी किसी पुनरीक्षण या मामले के अभिलेख को जो ऐसे अधिकारी के समक्ष

---

1. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।
4. विज्ञप्ति सं0 65/69/79 (1226)-रेवेन्यू-8, दिनांक 20-2-1980 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निस्तारण के लिए विचाराधीन हो, मंगा सकता है और उसे ऐसे अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है, यदि वह किसी कारणवश उसे निर्णय करने में असमर्थ हो ।]

(2) चकबन्दी संचालक किसी मामले को किसी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पास से अपने पास मंगा सकता है और उसे किसी दूसरे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निस्तारण के लिए अभिदिष्ट कर सकता है ।

(3) से (5) [1][निरसित]

66. [1][निरसित]

67. **धारा 27-** उ0प्र0 मालगुजारी अधिनियम, 1901 के अध्याय 4 के निदेश और उसके अधीन बनाये गये नियम, जहाँ तक कि वे इन नियमों से असंगत हों या उनके अन्तर्गत न आते हों, अधिनियम की धारा 27 के अधीन गाँव का नया नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए लागू न होंगे ।

68. **धारा 27-** यदि किसी गाँव का कोई क्षेत्र किसी दूसरे गाँव की सीमा के भीतर स्थित हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सन् 1951 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (25) के अधीन सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, यदि वह पहले ही प्राप्त न कर ली गई हो, उक्त क्षेत्र को दूसरे गाँव में मिलाने के लिए कार्यवाही करेगा ।

69. यदि सन् 1951 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन क्षेत्रों को, जो अब तक एक से अधिक गाँवों के अन्तर्गत थे, कोई अन्य गाँव बनाने के लिए सम्मिलित किया गया हो अथवा किसी गाँव के एक भाग को एक पृथक् गाँव के रूप में संघटित किया गया हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में गाँव का एक ही नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा ।

[2][69-क. (1) जहाँ गाँव का भाग, नगर क्षेत्र का भाग बनता है और यह निश्चय किया गया है कि गाँव के उस भाग को चकबन्दी योजना में लिया जाय जो नगरीय क्षेत्र में असम्मिलित है तो अलग-अलग गाँव का नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेगा, एक चकबन्दी क्षेत्र का और दूसरा गाँव के नगर क्षेत्र का ।

(2) नगर क्षेत्र से सम्बन्धित अभिलेख अन्तिम और निश्चायक न होगा और उस क्षेत्र का सुलभ अन्तिम अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों पर आधारित होगा ।

(3) ऐसे नगर क्षेत्र का अभिलेख तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

(क) पुनर्संख्यांकन नियम 88 के उपनियम (2) के अनुसार किया जायेगा ।

(ख) चकबन्दी फार्म 40 में एक फर्म मुताबिकत तैयार की जायेगी ।

(ग) खसरा मुताबिकत चकबन्दी फार्म 41 में तैयार की जायेगी ।

1. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया ।

(घ) खसरा और खतौनी की दो प्रतियाँ तथा शुद्ध सूची फार्म पी0-3, पी-11 तथा पी-12 में क्रमानुसार तैयार की जायेगी ।

(ङ) नक्शा का गुणन तथा नया वर्गीकृत भू-चित्र नियम 10। के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा तैयार किया गया अभिलेख आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को दिया जायेगा ।

70. धारा 51- यदि चकबन्दी क्रियाओं के दौरान में उस क्षेत्र के लिए जो अब तक एक से अधिक गाँवों के अन्तर्गत था, अभिलेखों का एक ही सेट तैयार किया जाना हो, तो विभिन्न गाँवों के गाटों का भेद हिन्दी के उपयुक्त वर्ण पहले लगाकर व्यक्त किया जायेगा ।

[1][**71. धाराएँ 27 और 54-** (1) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी अन्तिम चकबन्दी योजना प्रवृत्त होने के पश्चात्, किन्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, भूमिधारों तथा सीरदारों को प्रदिष्ट चकों, जिसके अन्तर्गत आसामियों को प्रदिष्ट उपचक भी है, तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित भूमि की सीमायें निर्धारित करने के लिए सीमा स्तम्भ लगवायेगा ।

(2) सीमा-खम्भे और उन्हें लगवाने की लागत, जैसी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा समय-समय पर प्रत्येक इकाई (यूनिट) के लिए अवधारित की जाय, प्रत्येक सम्बद्ध पार्श्ववर्ती खातेदार द्वारा देय होगी । कलेक्टर इस प्रकार अवधारित लागत को सम्बद्ध खातेदारों से मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल करेगा ।

(3) सीमा-खम्भों और उन्हें लगवाने की लागत को जमाबन्दी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 26-ख में दो प्रतिलिपियों में तैयार की जायेगी । सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच कर लिए जाने के पश्चात् वह बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, के माध्यम से अभिक्षेत्रयुक्त तहसीलदार को मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल करने के लिए दे दी जायेगी ।]

72 व 73. [2][निरसित]

74 से 81. [3][निरसित]

82. धारा 27- लेखपाल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि--(1) चकों, (2) चक के अन्तर्गत असामी को प्रदिष्ट किये हुए क्षेत्र, और (3) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग की गई भूमि की सीमायें नक्शे पर अन्तिम चकबन्दी योजना के अनुसार ठीक-ठीक दिखाई गई हैं । मालूम हुई अशुद्धियाँ चकबन्दीकर्ता को संशोधन के निमित्त बताई जानी चाहिए ।

83. धारा 27- लेखपाल नक्शे में दिखाये हुए प्रचलित चिन्हों की जाँच भी करेगा और ऐसे सभी चिन्हों के सम्बन्ध में, जो इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये हैं, आवश्यक संशोधन करेगा ।

84. [2][निरसित]

85. धारा 27- (1) उपर्युक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार नक्शे को अद्यावधि कर

1. विज्ञप्ति सं0 46/6/70/रेवेन्यू-8, दिनांक 7-11-73 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।
3. विज्ञप्ति सं0 160/आई0ए0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।

लेने के पश्चात् उसके आधार पर गाटों की पुनः परिगणना की जायेगी । प्रत्येक चक की एक क्रम-संख्या होगी, यदि वह प्राकृतिक या भौतिक अवरोध द्वारा भागों में न बाँट दिया गया हो और ऐसी दशा में प्रत्येक भाग की अलग से परिगणना की जायेगी । चक के अन्तर्गत आने वाले भूमिधरी और सीरदारी क्षेत्रों को जिनकी एक क्रम-संख्या हो, नक्शे में छोटे-छोटे डैशों से निर्मित रेखा द्वारा दिखाया जायेगा । नक्शे में भूमिधरी और सीरदारी भाग क्रमशः अक्षर (अ) और (ब) द्वारा दिखाया जायेगा । चक के भीतर असामी की जोत को भी इसी प्रकार दिखाया जायेगा । सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में नक्शों में शब्द (अ-स) और (ब-स) क्रमशः मूल खातेदार की जोत भूमिधरी या सीरदारी भागों में धृत असामी अधिकारों को दिखाने के लिए लिखे जायेंगे ।

(2) उपनियम (3) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, गाटों की पुनः परिगणना पूरे राजस्व गाँव के लिए एक क्रम से की जायेगी । यह गाँव के उत्तर-पश्चिम के कोने से आरम्भ होगी और दक्षिण-पूर्व के कोने से समाप्त की जायेगी । पुनः परिगणना करने में कुदान न किये जाने चाहिए, किन्तु यदि कोई कुदान हुए हों, तो नक्शे के पार्श्व में उनके सम्बन्ध में एक टिप्पणी दी जायेगी ।

(3) जहाँ चकबन्दी क्षेत्र गाँव का केवल एक भाग हो, तो इसकी पुनः परिगणना दूसरे भाग से जिसमें गैर चकबन्दी क्षेत्र हो, अलग की जायेगी । गैर चकबन्दी क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थिति की सूचना, सचिव, राजस्व परिषद् की ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह आवश्यक समझे, दी जायेगी ।

(4) जहाँ नगर क्षेत्र से भिन्न कोई ऐसा अन्य क्षेत्र, जिस पर 1951 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू न होता हो, चकबन्दी के अधीन गाँव में स्थित हो, तो पुनः परिगणना पूरे राजस्व गाँव में एक क्रम से की जायेगी ।

86. **धारा 27**- नियम [1][82, 83 और 85] तक के अनुसार लेखपाल द्वारा किये गये कार्य की शत-प्रतिशत चकबन्दीकर्ता और 25 प्रतिशत कार्य की सहायक चकबन्दी अधिकारी जाँच करेगा । चकबन्दी अधिकारी भी अपना यह समाधान करने के लिए कि कार्य ठीक-ठीक किया गया है, उसकी जाँच करेगा ।

87 से 89. [2][निरसित]

90. **धारा 27**- (1) तत्पश्चात् चकबन्दीकर्ता अन्तिम नक्शा तैयार करायेगा, जिसमें केवल नई संख्यायें, उनकी सीमायें और जहाँ आवश्यक हो, प्रचलित चिन्ह दिये रहेंगे । इसकी जाँच चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व की जायेगी, जिसके पद, नाम का उल्लेख उसके हस्ताक्षर के नीचे किया जायेगा । इस प्रकार तैयार किये गये अन्तिम नक्शे की प्रतियाँ उतारे जाने के पश्चात्, जैसा कि उपनियम (2) में निर्धारित है, वह प्रेस की प्रतिकृति करने के लिए भेजा जायेगा, यदि नियम 10 के उपबन्धों को देखते हुए प्रतिकृति करना आवश्यक हो ।

1. विज्ञप्ति सं० 437-सी०एच०/आई०ई०-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाले गये ।

प्रेस से प्राप्त होने पर अन्तिम नक्शा कलेक्टर के अभिलेख कक्ष के लिए अभिप्रेत चकबन्दी संग्रह में रखा जायेगा ।

(2) अन्तिम नक्शे की दो प्रतियाँ उतारी जायेगी । इन प्रतियों में नये गाटों के भीतर विद्यमान पुराने गाटों की सीमायें बिन्दु-रेखाओं से दिखाई जायेगी, जिनमें पुराने गाटों की सीमायें नहीं दी जायेंगी । इन नक्शों में वर्तमान मिट्टी के वर्गों को भी मोटी-लाल रेखाओं से चिन्हांकित किया जायेगा । विभिन्न मिट्टी के वर्गों को उपयुक्त अल्पाक्षरों द्वारा वर्णित किया जायेगा और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा । इस प्रकार उतारी गई प्रतियों की जाँच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जाँच और हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी । इस नक्शे की एक प्रति नियम 100-क में उल्लिखित दो चकबन्दी संग्रहों में से प्रत्येक में रखी जायेगी ।

91 तथा 92. [1][निरसित]

[2][93. **धारा 27-** चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुनः परिगणन और जाँच समाप्त हो जाने के पश्चात् लेखपाल जोत चकबन्दी आकार-पत्र 41 में नई संख्याओं के अनुक्रम में तुलनात्मक खसरा (खसरा मुताबिकत) दो प्रतियों में तैयार करेंगे, जिसमें भूमि श्रेणियों के भी ब्यौरे दिये जायेंगे ।]

94 से 96. [3][निरसित]

97. **धारा 27-** चकबन्दी लेखपाल, खसरा मुताबिकत और धारा 27 की उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य संगत अभिलेखों की सहायता से जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में, दो प्रतियों में खतौनी तैयार करेगा ।

[2][98. चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किये गये खसरा मुताबिकत और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी की चकबन्दीकर्ता द्वारा शत-प्रतिशत जाँच की जायेगी, इन अभिलेखों में से 25 प्रतिशत प्रविष्टियां की सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा और 5 प्रतिशत की चकबन्दी अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी, तत्पश्चात् जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी गाँव में प्रकाशित की जायेगी ।]

99. **धारा 27-** खतौनी के तैयार हो जाने के पश्चात् तुलनात्मक खसरे के स्तम्भ 5 में नई खाता संख्यायें लिखी जायेगी ।

[2][100. **धारा 27-** खसरा मुताबिकत तथा खतौनी के सभी कटे हुए लेखों अथवा उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जो उन्हें काटने और उपरिलेख के लिए उत्तरदायी हों, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंगे और दिनांक डाला जायेगा । कहीं पर कोई लेख मिटाया नहीं जायेगा ।]

---

1. विज्ञप्ति सं0 31/3-9-4-ड, दिनांक 30-1-1981 द्वारा निकाले गये ।
2. विज्ञप्ति सं0 31/2-69-1-ड, दिनांक 30-4-1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।

उपरिलिखित प्रत्येक अभिलेख के सम्बन्ध में एक अशुद्धि-पत्र 6-ख में तैयार किया जायेगा और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा । इस पर सहायक चकबन्दी अधिकारी भी हस्ताक्षर करेगा । ऐसी सूची पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् अभिलेखों की प्रत्येक प्रति के साथ उसकी जिल्द वांछित समय पर नत्थी की जायेगी ।]

[1][100-क. **धारा 27-** चकबन्दी ग्रन्थ संग्रह में अन्तिम ग्राम नक्शे के साथ खसरा मुताबिकत और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी होगी, ऐसे दो संग्रह तैयार किये जायेंगे, उनमें से एक कलेक्टर के अभिलेख कक्ष में रखा जायेगा और दूसरा लेखपाल को देने के लिए तहसीलदार को दिया जायेगा । तत्पश्चात् चकबन्दी संचालक धारा 52 के अधीन गाँव की विज्ञप्ति करने की कार्यवाही करेगा ।]

101. धारा 27- (1) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी यथाशीघ्र एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें जनता के ऐसे व्यक्तियों को, जो गाँव के नक्शों की प्रतिलिपियाँ, जिनकी यांत्रिक साधनों से उतारने का प्रस्ताव है, माल लेना चाहते हों, यह सूचना दी जायेगी कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा नियत किये जाने वाले दिनांक तक प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दें । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उक्त नोटिस में प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए निश्चित किये गये मूल्य का भी उल्लेख करेगा ।

(2) नियम 90 के अधीन तैयार किये गये नक्शे में निम्नलिखित संख्या में यांत्रिक साधनों से प्रतिलिपियाँ उतारी जायेंगी--

(क) माल तथा भूमि अभिलेख के प्रयोजनों के निमित्त	दो छाया मुद्रित प्रतिलिपियाँ, छः कपड़े पर और चार कागज पर उतारी हुई प्रतिलिपियाँ ।
(ख) बिक्री के निमित्त	कपड़े पर उतारी हुई चार प्रतिलिपियाँ या यदि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करके इससे अधिक प्रतिलिपियों के सम्बन्ध में निर्णय करे तो अधिक, जो मांगी हुई प्रतिलिपियों की वास्तविक संख्या के अतिरिक्त होगी ।

(3) नियम 90 के अधीन तैयार किया गया नक्शा दो छाया मुद्रित प्रतिलिपियों के सहित भूमि अभिलेखों के संचालक के पास भेजा जायेगा ।

(4) से (6) [2][निरसित]

[3][101-क. **धारा 27-** नियम 90 के अधीन तैयार किये गये अन्तिम नक्शे की प्रतियों में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी वर्तमान मिट्टी के वर्गों को मोटी लाल रेखाओं से चिन्हित करायेगा, विभिन्न मिट्टी के वर्ग के उपयुक्त अल्पाक्षरों द्वारा वर्णित किये जायेंगे और प्रत्येक

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़ा गया तथा विज्ञप्ति सं0 31/2-69-1-ड, दिनांक 30-4-1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।
3. उपरोक्त विज्ञप्ति द्वारा जोड़ा गया ।

प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिखे जायेंगे । चकबन्दी/चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा नक्शे की जाँच तथा उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी भी नक्शे की जाँच करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

102 तथा 103. [1][निरसित]

104. धारा 27- (1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के लिए जिसमें एक से अधिक गाँव सम्मिलित हों, संयुक्त चकबन्दी योजना तैयार की गई हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी जोत चकबन्दी आकार-पत्र 44 में एक विवरण-पत्र तैयार करायेगा जिसमें निम्नलिखित दिखाये जायेंगे--

(क) प्रत्येक ऐसे गाँव में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत किसी खातेदार से सम्बन्धित मालगुजारी और आना मूल्यांकन;

(ख) प्रत्येक ऐसे गाँव में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत ऐसे खातेदार के लिए प्रविष्ट किया गया आना मूल्यांकन;

(ग) प्रत्येक ऐसे गाँव में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत खातेदार द्वारा भविष्य में देय मालगुजारी, जो इस सिद्धान्त के अनुसार लगाई गई हो कि ऐसी मालगुजारी का ऐसे सभी गाँवों में भौमिक अधिकार के उक्त वर्ग के अन्तर्गत अदा की गई मालगुजारी के योग के साथ वही अनुपात होगा, जो उस गाँव में उस भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत प्रविष्ट किये गये आना मूल्यांकन के योग के साथ है जो ऐसे सभी गाँवों में उसी वर्ग के अन्तर्गत उसे प्रदिष्ट किया गया है ।

नोट- केवल ऐसे गाटों के, जो चकबन्दी के अन्तर्गत हों, आना मूल्यांकन का हिसाब लगाया जायेगा ।

(2) उक्त विवरण-पत्र की शत-प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा 20 प्रतिशत जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा और 5 प्रतिशत जाँच चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी । इसके बाद विवरण-पत्र गाँव में प्रकाशित किया जायेगा । यदि कोई सम्बद्ध व्यक्ति उसके किसी इन्द्रराज पर इसके प्रकाशन के दिनांक से 10 दिन के भीतर आपत्ति करे तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा विवरण-पत्र की पुष्टि को बाधित न करते हुये, सहायक चकबन्दी उसकी सुनवाई और अन्तिम रूप से उसका निर्णय करेगा ।

(3) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा जोत चकबन्दी आकार-पत्र 44 में बने विवरण-पत्र की पुष्टि हो जाने पर शीघ्र ही प्रत्येक ऐसे गाँव के लिए नियम 97 के अनुसार तैयार की गई खतौनी में तद्नुसार इन्द्रराज किये जायेंगे ।

105. धारा 54- राज्य सरकार ऐसी रीति अवधारित करेगी जिसके अनुसार अधिनियम के अधीन किये गये सभी मुकदमों में कार्यवाहियों के अभिलेख का निस्तारण किया जायेगा ।

106 तथा 107. [2][निरसित]

---

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा निकाले गये ।
2. विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ई0-280-58, दिनांक 16-4-1959 द्वारा निकाले गये ।

108. **धारा 54**- (1) आधार वर्ष के अभिलेखों या उन अभिलेखों से, जो धारा 10 (1) के अधीन प्रकाशित किये गये हों, उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे उद्धरणों को जारी करने के लिए उसे वही पारिश्रमिक मिलेगा, जो लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल में नियत है ।

(2) धारा 8-क के अधीन तैयार किये गये सिद्धान्तों के विवरण की प्रति के लिए सहायक चकबन्दी अधिकारी को आवेदन-पत्र दिया जायेगा और साथ में प्रत्येक प्रति के लिए 2 रुपये 50 पैसे का प्रतिलिपि स्टाम्प भेजा जायेगा ।

(3) प्रदेशन आज्ञा की एक प्रति चकबन्दी लेखपाल द्वारा, उसे 25 पैसे प्रत्येक प्रति के हिसाब से परिश्रमिक शुल्क के रूप में भुगतान किये जाने पर, जारी की जा सकती है ।

(4) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये नक्शों और अन्तिम लेख्यों की प्रतिलिपियों के लिए, जो उपनियम (1) से (3) के अन्तर्गत नहीं आते, आवेदन-पत्र सहायक चकबन्दी अधिकारी को दिये जायेंगे अथवा उन निर्णयों, वक्तव्यों आदि, जो न्यायालय की कार्यवाही के अंग हों, प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना-पत्र सम्बद्ध न्यायालय के अधिष्ठाता अधिकारी को दिये जायेंगे और उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार माल विभाग के मैनुअल ऑफ आर्डर्स के अध्याय 9 में निहित रीति तथा शुल्क की दरों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा ।

109. **धारा 27**- किसी गाँव के सम्बन्ध में गाँव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई चकबन्दी योजना, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-क (भाग 1 और 2) चकबन्दी उपसंचालक को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी और उसके साथ खसरे तथा गाँव के रजिस्टर की जिस पर वह आधारित हो, प्रतियाँ और गाँव के नक्शे की एक प्रति भी रहेगी, जिसमें चकबन्दी योजना में समाविष्ट के ब्यौरे दिये होंगे ।

[1][109-क. (1) धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में दी गई आज्ञायें धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जायेगी । ऐसे प्राधिकारी के न होने की दशा में परगने की प्रभारी असिस्टेन्ट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर कानूनगो, मामलों से समबद्ध क्षेत्र का लेखपाल उपर्युक्त आज्ञाओं को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता तथा चकबन्दी लेखपाल के कृत्यों का निर्वहन तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

(2) यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट किसी आज्ञा को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए प्रभावित चकों का पुनः प्रदेशन करना आवश्यक हो जाय, तो चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार, जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् आवश्यक आज्ञायें दे सकते हैं ।

(3) चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार, जैसी भी दशा हो, की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन दी गई आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी या परगने के प्रभारी असिस्टेन्ट कलेक्टर, जैसी भी दशा हो, के समक्ष

1. विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25-3-1964 द्वारा जोड़े गये ।

अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपील पर निर्णय देगा, जो अन्तिम होगा ।

(4) यदि उपनियम (2) या उपधारा (3) के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप कब्जा देना आवश्यक हो जाय, तो नियम 55 और 56 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

109-ख. (1) यदि एक से अधिक वाद या कार्यवाहियाँ, जिनमें अवधारण के लिए सारतः एक समान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हों और जो एक समान वाद वसूल पर आधारित हों, दो या अधिक चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हों, तो वे किसी एक पक्ष द्वारा उस प्राधिकारी को, जिसके अधीनस्थ वे सभी प्राधिकारी हों, जिनके समक्ष वाद या कार्यवाहियाँ विचाराधीन हों, प्रार्थना-पत्र देने पर या स्वतः एक प्राधिकारी के समक्ष समेकित कर दिये जायेंगे और उन्हें एकल निर्णय द्वारा निर्णीत किया जायेगा ।

(2) चकबन्दी अधिकारी, अपने समक्ष विचाराधीन वादों या कार्यवाहियों को स्वयं समेकित कर सकता है । यदि उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायं या उसका समाधान हो जाय कि वादों या कार्यवाहियों के उचित और शीघ्र निस्तारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है और इससे वाद या कार्यवाही के किसी पक्ष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।[1]

110. धारा 3 (4)- चकबन्दी संचालक, राज्य में चकबन्दी संगठन में नियोजित कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण करने के अधिकारों का प्रयोग करेगा और इसके लिए ऐसे निर्देश जारी करेगा, जो आवश्यक हों ।

[1][111. अधिनियम की धारा 48 के अधीन आवेदन-पत्र आवेदनकर्ता या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्बद्ध जिले या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कटक के लिए चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट संयुक्त उपसहायक संचालक, चकबन्दी को या जिले में किसी ऐसे संयुक्त, उपसहायक संचालक, चकबन्दी की नियुक्ति न होने पर जिला उपसंचालक, चकबन्दी की उस आज्ञा के, जिसके विरुद्ध आवेदन-पत्र निदेशित हो, 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ निर्णय या उस आज्ञा की एक प्रति होगी जिसके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाय । विवाद के सम्बन्ध में अन्य अधीनस्थ प्राधिकारियों के निर्णय या आज्ञा की प्रतियाँ भी, यदि कोई हों, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।][1]

112. धारा 54- (1) जो कार्यवाहियाँ, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 49 के अधीन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5, सन् 1954) के, जैसा कि वह 1958 ई0 के संशोधित होने के ठीक पहले था, उपबन्धों के अनुसार संचालित और समाप्त की जाती हैं, वे सब कार्यवाहियाँ 1954 के नियमों के द्वारा, जैसे कि वे दिनांक 16 अप्रैल, 1959 की विज्ञप्ति सं0 160-सी0एच0/आई0ई0-280-58 द्वारा संशोधित होने के पूर्व थे, शासित होगी ।

(2) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 8, सन् 1963) की धारा 47 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन, जोत कार्यवाहियाँ,

---

1. विज्ञप्ति सं0 65/69/79 (1226)-रेवेन्यू-8, दिनांक 20-2-1980 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5, सन् 1954), जैसा कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश) अधिनियम सं0 8, सन् 1963) द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार संचालित और समाप्त की जानी हों, वे उन नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसी कि वे विज्ञप्ति सं0 437-सी0एच0/आई0ई0-256-61, दिनांक 25 मार्च, 1964 द्वारा संशोधित किये जाने के तुरन्त पूर्व थे :

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 3, 3-क, 14, 55, 56, 56-क 57, 58, 61, 63, 85, 86, 90, 100, 101, 101-क और 101-ख के उपबन्ध, जैसा कि वे उपर्युक्त विज्ञप्ति द्वारा संशोधन किये जाने के पश्चात् हों, लागू होंगे और उक्त विज्ञप्ति द्वारा निकाल दिये गये नियम 87, 88 के उपबन्ध चकबन्दी क्रियाओं के सम्बन्ध में या उनसे सम्बद्ध कार्य पर और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 8 सन् 1963) की धारा 47 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों पर भी लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण- किसी कार्यवाही पर प्रयोज्य आकार-पत्र, इस नियम के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन, ऐसी कार्यवाहियों पर प्रयोज्य नियमों के अनुसार होंगे ।

[1][113. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू खसरा, खतौनी तथा नक्शों में प्रविष्टियों के आधार पर अधिनियम की धारा 52-क में उल्लिखित योजना के प्रारूप तैयार करेगा ।]

(2) यदि उपनियम (1) में उल्लिखित अभिलेख की किसी प्रविष्टि में किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में परिष्कार किया जाय तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रविष्टि के सामने आदेश सम्बन्धी निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग को लिखेगा । इस प्रकार ठीक की गई प्रविष्टियों की योजना का प्रारूप तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

114. धारा 52-क- यदि चक-मार्गों या चक-गूलों की व्यवस्था करने के लिए, चकों का पुनर्व्यवस्थापन करना आवश्यक हो जाय तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, गाँव सभा में निहित किसी जोत या भूमि के ऐसे गाटों या गाटों के भागों, जिन पर ऐसे पुनर्व्यवस्थापन से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, का विनिमय अनुपात गाटा या गाटों की उत्पादकता, स्थिति और वर्तमान मिट्टी के वर्ग को सुनिश्चित करके और गाँव के उतने खातेदार के साथ, जितने वह एकत्र कर सके, स्थल पर जाकर सत्यापन अवधारित करेगा । इस प्रकार अवधारित किया गया विनिमय अनुपात जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 1 के स्तम्भ 4 व जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 2 के विवरण के स्तम्भ 12, जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित किया जायेगा ।

115. धारा 52-क- खातेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, की गणना जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 3 में की जायेगी ।

116. धारा 52-क- (1) नियम 113 में अभिदिष्ट योजना का प्रारूप जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 1 और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख, भाग 2 में तैयार किया जायेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई योजना का प्रारूप तब धारा 3

1. विज्ञप्ति सं0 31-1-71/1-ड, दिनांक 27-6-1973 द्वारा जोड़े गये ।

(8) के अनुसार, गाँव में प्रकाशित किया जायेगा । योजना के प्रारूप का संगत उद्धरण, यथा-स्थिति सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किये जायेंगे ।

117. धारा 52-क- धारा 52-क की उपधारा (8) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा योजना की पुष्टि किये जाने के पश्चात्, यह धारा 3 की उपधारा (8) के अनुसार प्रकाशित की जायेगी और प्रदेशन आदेश जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ग में, यथा-स्थिति, सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किये जायेंगे ।

118. धारा 52-क- बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा धारा 52-क की उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत योजना को लेखपाल द्वारा नियम 113 के उपनियम (2) में बताई गई रीति से चालू नक्शे और अभिलेखों में प्रभावी किया जायेगा । चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी, लेखपाल द्वारा की गयी प्रविष्टियों की जाँच करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा ।

पारम्परिक चिन्हों की सूची (क्रमशः)

क्रम-संख्या	चिन्ह का नाम	क्रम-संख्या	चिन्ह का नाम
1	2	1	2
63.	चीनी मिल	71.	तालाब पुख्ता
64.	सड़क सिहद्वा सहित	72.	टोला
65.	सरांय व धर्मशाला	73.	नलकूप
66.	सड़क पुख्ता मय पटरी	74.	तहसील
67.	सड़क खाम	75.	थाना
68.	तार के खम्बे	76.	ऊसर
69.	थियोडोलाइट (ऊँचाई) चिन्ह	77.	जमीन
70.	तालाब खाम		

नोट:- पारम्परिक चिन्हों हेतु कृपया कवर पृष्ठ पर इसी क्रम में छपी **"संकेत तालिका"** देखिये ।